

कार्यालय नगर पालिका परिषद नागदा जिला उज्जैन म0प्र0

क्रमांक:- एफ/स्था. /24/4033

नागदा, दिनांक : 12/08/2024

विज्ञापन

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये पात्र अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय सांय 5.00 बजे तक डाक से अथवा व्यक्तिशः नगर पालिका परिषद नागदा जिला उज्जैन के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें समिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सहायक राजस्व निरीक्षक (नियमित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 EP level-4	0	1	0	0	12वीं उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर प्रचालन की दक्षता
02	सहायक ग्रेड 03 (नियमित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 EP level-4	0	1	0	0	12वीं उत्तीर्ण तथा टंकन कार्य एवं (CPCT) कम्प्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रशासन विभाग म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित योग्यता
03	ड्रायवर भारी वाहन (नियमित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 EP level-6	0	0	1	0	10वीं उत्तीर्ण तथा हेवी व्हीकल/ लाईट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञापति धारक हो।
04	ड्रायवर हल्का वाहन (संविदा)	तृतीय श्रेणी	8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	0	0	1	0	10वीं उत्तीर्ण तथा हल्का वाहन चलाने का लायसेंस
05	भृत्य (नियमित)	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 EP level-1	1	0	0	0	10वीं उत्तीर्ण
	(संविदा)		8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	1	0	0	1	10वीं उत्तीर्ण

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नागदा

06	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 EP level-1	1	1	1	1	05वीं उर्तीण
	(संविदा)		8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	2	2	2	3	05वीं उर्तीण
कुल पद संख्या				5	5	5	5	

मुख्य शर्तें :-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. इस विज्ञापन के जारी होने के दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
3. आवेदक का म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये उसे अयोग्य माना जावेगा।
5. प्राप्त आवेदनों की जाँच के बाद मेरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षतकार के लिये आमंत्रित किया जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दर्ज ई-मेल आईडी/दूरभाष पर दी जावेगी।
6. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये।
8. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी निकाय की वेबसाइट, (www.nagarpalikanagda.in) कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/निकाय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
9. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।
10. आवेदन भेजने का पता- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् नागदा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् नागदा

नोट- मुख्य शर्तों के बिन्दु क्रमांक 8 में निकाय की यदि वेबसाइट हो तो वेबसाइट का नाम आवश्यक रूप से भरें। मुख्य शर्तों के बिन्दु क्रमांक 10 में आवेदन भेजने का पता स्पष्ट रूप से लिखें तथा पिन कोड भी लिखें।

स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
का फोटो चस्पा
करें

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् नागदा
जिला- उज्जैन

विषय:- पद..... वर्ग के लिये आवेदन ।

संदर्भ:- आपका विज्ञापन क्रमांक..... दिनांक

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम -
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम -
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम -
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार)
वर्षमाहदिन
5. विज्ञापन प्रसारण के दिनांक को आयु वर्षमाहदिन
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)-
7. आवेदक/आवेदिका की जाति -
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत -
9. आवेदक/आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण-पत्र अनुसार विवाह की
दिनांक -
10. जीवित संतानों का विवरण -
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम -
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

13. पद हेतु अनुभव का विवरण -
14. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण-
15. वर्तमान पता (पिन कोड सहित) -
16. स्थाई पता (पिन कोड सहित) -
17. पत्राचार का पता (पिन कोड सहित) -
18. ईमेल आई.डी (आवश्यक)-
19. मोबाईल नम्बर (आवश्यक) 1 2

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

(2)

घोषणा पत्र

“मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे।”

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न :-

1. म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र।
2. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
3. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40 प्रतिशत)
4. जाति प्रमाण पत्र।
5. जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची)

कार्यालय नगर पालिका परिषद नागदा

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विस्तृत जानकारी

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापन क्रमांक 4033 दिनांक 12/08/2024 को प्रसारित किया गया है।

स. क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सहायक राजस्व निरीक्षक (नियमित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 EP level-4	0	1	0	0	12वीं उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर प्रचालन की दक्षता
02	सहायक ग्रेड 03 (नियमित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 EP level-4	0	1	0	0	12वीं उत्तीर्ण तथा टंकन कार्य एवं (CPCT) कम्प्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रशासन विभाग म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित योग्यता
03	ड्रायवर भारी वाहन (नियमित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 EP level-6	0	0	1	0	10वीं उत्तीर्ण तथा हेवी व्हीकल/लाईट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञापति धारक हो।
04	ड्रायवर हल्का वाहन (संविदा)	तृतीय श्रेणी	8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	0	0	1	0	10वीं उत्तीर्ण तथा हल्का वाहन चलाने का लायसेंस
05	भृत्य (नियमित)	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 EP level-1	1	0	0	0	10वीं उत्तीर्ण
	(संविदा)		8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	1	0	0	1	10वीं उत्तीर्ण
06	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 EP level-1	1	1	1	1	05वीं उत्तीर्ण
	(संविदा)		8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	2	2	2	3	05वीं उत्तीर्ण
कुल पद संख्या				5	5	5	5	

उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिये विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/ 1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार विज्ञापन प्रसारण दिनांक को निःशक्त अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी- 3- 8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/मूल निवासी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निकाय के कार्यालय से ज्ञात की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. उल्लेखित पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्त किये जावेंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हों, जो चयन के लिए आवश्यक हों, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही चयन/कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22. प्राप्त आवेदनों की जाँच बाद मेरिट के आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा। उक्त की सूचना आवेदक द्वारा दी गयी ई-मेल आईडी पर प्रेषित की जायेगी।
23. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

दिनांक:- 12-08-2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी के
हस्ताक्षर/पद मुद्रा, नागदा
नगर पालिका, नागदा

(परिशिष्ट-4)

कार्यालय नगर पालिका परिषद नागदा जिला उज्जैन (म0प्र)

पावती

विशेष भर्ती अभियान 2024 के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के संबंध में निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुआ :-

1. आवेदक/आवेदिका का नाम -
2. पिता/पति का नाम -
3. पद एवं श्रेणी जिसके लिए आवेदन प्राप्त हुआ -
4. संलग्नक (✓/× का निशान लगावें) -

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र-	<input type="checkbox"/>
(ब) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन-	<input type="checkbox"/>
(स) दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-	<input type="checkbox"/>
(द) जाति प्रमाण पत्र-	<input type="checkbox"/>
(इ) जन्म प्रमाण पत्र-	<input type="checkbox"/>
5. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक एवं समय -

दिनांक

निकाय की सील

प्राप्तकर्ता का नाम/पद/हस्ताक्षर

इस दौरान साया रफाईड 12088 रुपये, पाम ऑयल 8666

रुपये और वनस्पति तेल 11166 रुपये प्रति फ्रिटल पर रहा है।

DR. UJAY SHAIKH
D/O ZIA UR REHMAN
Add - 35, Rajjab Ali Marg,
Nayapura, Dewas (M.P.)
455001

दिनांक 09 August 2024 को गिरि हलकादर पर न्यायपालिका की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
नियंत्रण सुकान
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमोहन जगन्नाथ, सुप्रीम कोर्ट, (न.प्र.)
कृपया ध्यान दें - यदि किसी कारणवश उक्त त्रिणी को न्यायपालिका प्रमुख पर स्थान से अलग की जायेगी तो यह प्रकाशन सूचना ही प्रमाण बनने पर

CHANGE IN NAME
I Kunal Harjani S/O
Tulsidas R/O Ward
No. 14, Mahaveer
Ganj Pipliyamandi,
Mandsaur (M.P.) have
changed my name
from Kunal to Kunal
Harjani for all future
purposes.

सूचना II
नगर बैंक, बंधन बैंक शाखा-लेण्ड मार्क, पंचनाथ रोड,
जिला पित्त श्री विश्वनाथसिंह निवासी रामेश्वर नगर, खण्डवा
एवं मालिकी की संघर्ष वाले शहर खण्डवा वरपरमाली,
की सीमांतगत खंड नंबर 49, नैतकी सुभाषचन्द्र नोम
मुखण्ड जिसका परिवारित नोट नंबर 19, स्टाट नंबर 04
सेक्टर जाम्पिन) जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट
के स्वत्व श्रृंखला किलेड की दिनांक 02/02/2015
3212 एवं प्रथम 12168 है वह कहीं गुम हो गया
के संबंध में खण्डवा नगरपालिका श्री विश्वनाथसिंह
के विधायक लिखित सूचना दिनांक 02/08/2024 को
किसी का हित निहित हो या रहन हो या विक्रय पत्र अथवा
अन्य संस्था द्वारा संजित किया गया हो तो परत संबंध में इस
के आपत्ति प्रस्तुत करें। अथवा 07 दिन पश्चात उक्त संघर्ष
रोड, खण्डवा में बंधन कर अग्रण प्रत्यय किया जावेगा।
नगर पालिका
पटेल, अधिवक्ता
न.प्र. रोड, खण्डवा, मो.नं.- 9406604978

जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्र./एनएचएम/2024/ खण्डवा, दिनांक / /

:: द्वितीय ई-निविदा सूचना ::

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन खण्डवा अंतर्गत खण्डवा जिले की जिला एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालयीन/स्वास्थ्य संस्थाओं में दैनिक एवं मासिक आधार पर वाहन अनुबंध हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें विभागीय वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर एवं इस कार्यालय के सूचना पटल पर देखे जा सकते हैं। निविदा प्रक्रिया निम्नानुसार है-

1.	निविदा आमंत्रण (आर.एफ.पी.) की उपलब्धता एवं जमा किये जाने की दिनांक	10.08.2024 से 25.08.2024 तक ऑनलाईन शुल्क राशि रूप 2000/- प्रति निविदा जमा कर विभाग की वेबसाइट https://mptenders.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2.	निविदा पूर्व (प्री-प्रोजेक्ट) कॉन्फ्रेंस हेतु दिनांक समय एवं स्थान	दिनांक 20.08.2024, समय दोपहर 02.00 बजे, स्थान-कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खण्डवा
4.	निविदा आमंत्रण (आर.एफ.पी.) खोलने की अंतिम तिथि समय एवं स्थान	दिनांक 27.08.2024, दोपहर 2.00 बजे स्थान-कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा
5.	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक	वित्तीय निविदा खोले जाने की सूचना पृथक से सूचना पत्र/ ईमेल/ मोबाईल इत्यादि के माध्यम से तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदाकारों को प्रदान की जावेगी।

सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
सह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला खण्डवा

जी-14871/24

जीवन है अनमोल, तो वही करने यातायात नियमों से खेल।

कार्यालय नगर पालिका परिषद नागदा जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक-एफ/स.प्र./24/4034 दिनांक 12/08/2024
विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये अनिश्चित निम्न पदों की पूर्ति के लिये पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय सांघ 5.00 बजे तक डाक से अथवा व्यक्तिगत: नगर पालिका परिषद नागदा जिला उज्जैन के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	आरक्षित वर्गवार रिक्तियाँ					निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एरिड अटैक पीडित प्रकुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलंगता	9	
01	सहायक सार्वजनिक निरीक्षक (निर्धारित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 EP Level-4	0	1	0	0	12वीं उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर प्रचालन की दक्षता	
02	सहायक ग्रेड 03 (निर्धारित)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 EP Level-4	0	1	0	0	12वीं उत्तीर्ण तथा टंकन कार्य एवं (CPCT) कम्प्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित योग्यता	
03	ड्राइवर भारी वाहन (सविदा)	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 EP Level-6	0	0	1	0	10वीं उत्तीर्ण तथा हेवी व्हीकल/लाईट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञति भारत को।	
04	ड्राइवर हल्का वाहन (सविदा)	तृतीय श्रेणी	8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	0	0	1	0	10वीं उत्तीर्ण तथा हल्का वाहन चलाने का लायसेंस	
05	मूल्य (निर्धारित) (सविदा)	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 EP Level-1	1	0	0	0	10वीं उत्तीर्ण	
			8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	1	0	0	1	10वीं उत्तीर्ण	
06	सफाई सहायक (निर्धारित) (सविदा)	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 EP Level-1	1	1	1	1	05वीं उत्तीर्ण	
			8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	2	2	2	3	05वीं उत्तीर्ण	
कुल पद संख्या				5	5	5	5		

मुख्य शर्तें:- 1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 2. इस विज्ञापन के जारी होने के दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये। 3. आवेदक का म.प्र. राज्य के राजनगर कार्यालय में जीवित पंजीवन होना अनिवार्य है। 4. आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये उसे अयोग्य माना जावेगा। 5. प्राप्त आवेदनों की जाँच के बाद मैरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यर्थियों को बैंक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दर्ज ईमेल आईडी, दूरभाष पर दी जावेगी। 6. बैंक-इन-इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का वाश अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। 7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अपिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये। 8. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी एवं आवेदन फार्म निकाय की वेबसाइट (www.nagarpalikanagda.in) कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/निकाय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। 9. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे। 10. आवेदन भेजने का पता-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नागदा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नागदा